RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LIMITED
(A Government of Rajasthan Undertaking)
Corporate Identity Number (CIN) : U15421RJ1945SGC000285
Regd. Office & H.O: 4th Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road,
Jaipur – 302 006 (Rajasthan)

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (RSGSML) राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक उपक्रम है। कंपनी श्रीगंगानगर में शुगर फैक्ट्री और डिस्टलरी के संचालन के साथ–साथ राज्य में देशी शराब, अंग्रेजी शराब, हेरिटेज लिकर एवं हैण्ड सैनिटाइज़र का उत्पादन और बिक्री करती है।

संस्थान में लेबोरेट्री असिस्टेंट के 02 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

कुल पद	Un-Reserved				OBC				SC				ST				MBC				EWS			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
02	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण :– विशेष योग्यजन (HI) – 01 पद																								
Abbreviations used :- SC - Scheduled Castes, ST - Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC - More Backward Classes, EWS - Economic Weaker Sections, HI - Hearing Impaired.																								

1. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
2. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
3. चयनित उम्मीदवारों को प्रबन्धन द्वारा कंपनी के व्यवसाय से सम्बन्धित मुख्यालय जयपुर, शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर या राजस्थान में किसी अन्य स्थान पर पदस्थापन किया जा सकेगा।

विशेष सूचना :–

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनकें लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्त्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

   परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रकिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चातवर्त्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा।

3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :— किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह—विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

5. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.2 (42)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है। अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये जारी जाति प्रमाण पत्र में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जाति का उल्लेख होने पर लाभ देय है। अति पिछड़ा वर्ग के लिये अलग से कोई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क—2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

7. कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्व चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

9. विशेष योग्यजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।

10. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेंगी।

11. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

12. भूतपूर्व सैनिकों हेतु :–

(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :–

- प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

- प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

भूतपर्व सैनिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(8) कार्मिक/क–2/84/ पार्ट–।। दिनांक 17.04.2018 के प्रावधान भी लागू होंगें। इस अधिसूचना के अनुसार कोई भूतपूर्व सैनिक यदि सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण पत्र (एनओसी) के आधार पर पेंशन अर्जित करने के पश्चात वह पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु उसे समुचित चयन अभिकरण को सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण :– कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.05.2019 के अनुसार जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो तो लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जावेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभ देय होंगे। इस आदेश के आधार पर नियुक्त प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनके सेवामुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकता है। यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रकिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेंगी।

13. दिव्यांगजन के लिये :–

- दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

- उपर्युक्त दर्शाए गए दिव्यांगजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार भरा जाएगा। जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

- दिव्यांगजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, उन्हे अपनी दिव्यांगता के

सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगजन होने पर मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

आवेदन शुल्क :–

- सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु राशि रूपये 944/– (जीएसटी सहित)।

- राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु राशि रूपये 826/– (जीएसटी सहित)।

- समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु राशि रूपये 708/– (जीएसटी सहित)।

- कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.8(3) कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 708/– (जीएसटी सहित) देय है (कृपया इस सम्बन्ध में नीचे अंकित नोट संख्या 4 भी अवश्य देखें)।

नोट :–

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

2. एक बार जमा होने पर शुल्क वापिस नहीं लौटाया जायेगा।

3. अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा जिस श्रेणी हेतु शुल्क जमा कराया जाता है। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

4. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क राशि रूपये 250/– ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

शुल्क का भुगतान :–

- ऑनलाईन आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
- भुगतान डेबिट कार्ड्स (RuPay/Visa/Master Card/Maestro) क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड/ई–वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में भुगतान की जानकारी प्रस्तुत करने के बाद, सर्वर से जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें। (Do not press back or refresh button in order to avoid double charge)
- भुगतान के सफल समापन पर, एक "E-Receipt" प्राप्त होगी।
- ई–रसीद का न बन पाना भुगतान विफलता दर्शाता है। भुगतान की विफलता पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं।
- उम्मीदवारों को "ई–रसीद" और "ऑनलाइन आवेदन पत्र" का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि यदि "ई–रसीद" प्राप्त नहीं हुयी है तो ऑनलाइन भुगतान सफल नहीं हुआ है।
- डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भुगतान पूरा होने पर ब्राउजर विंडो को बंद करें।
- शुल्क के भुगतान के बाद शुल्क विवरण युक्त आवेदन पत्र को प्रिंट करने की सुविधा है।

वेतनमान :– परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी एवं परिवीक्षा अवधि के दौरान राज्य सरकार के नियमानुसार प्रति माह 18500 रुपये/– समेकित वेतन देय होगा, जिसे परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार द्वारा संशोधित किये जाने पर संशोधित किया जा सकेंगा। परिवीक्षा अवधि के सफल समापन पर वेतन राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में उपर्युक्तानुसार संशोधनीय पे मैट्रिक्स लेवल एल–8 में नियत किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता (कट ऑफ दिनांक–आवेदन की अंतिम तिथि तक) :– B.Sc (Bio)

राष्ट्रीयता :–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 01.01.1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ड़.) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
नोट :– परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख), (ग), (घ), (ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आयु :– दिनांक 01.07.2020 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान :–

(क) सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

- एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

- पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

- भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

- उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।

- रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से मुक्त होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।

- पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

- 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी।
- विधवाओं और विवाह–विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
- स्पष्टीकरण :– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह–विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :–

- उपर्युक्त पैरा के प्रावधान पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" हैं अर्थात अभ्यर्थियों को उपर्युक्त पैरा में वर्णित किसी भी एक प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ विभाग से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने और आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया :–

- सभी उम्मीदवारों द्वारा नीचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा –

  https://rajexcise.gov.in/RSGSMWEB/Website/Default.aspx

  किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, प्रत्येक उम्मीदवार को चाहिए :–

  1. स्वयं का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करना :– यह सुनिश्चित करना कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर दोनों आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं जैसा कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश के तहत दिया गया है।
  2. एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। यदि उम्मीदवार के पास एक वैध व्यक्तिगत ई–मेल आईडी नहीं है, तो उसके पास ऑन लाइन आवेदन करने से पहले अपना नया ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और उस ई–मेल खाते और मोबाइल नंबर को चालू/वैध बनाए रखना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को पंजीकृत ई–मेल आईडी के माध्यम से परीक्षा आदि के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए भेजा जाएगा। RSGSML, उम्मीदवारों को भेजे गए किसी भी ई–मेल/एसएमएस के बाउन्स बैक/अनडिलीवर के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :–

  1. उम्मीदवारों को वेबसाइट https://rajexcise.gov.in/RSGSMWEB/Website/Default.aspx पर जाकर "Apply Online" विकल्प पर क्लिक करना होगा, जो एक नई स्क्रीन खोलेगा।
  2. आवेदन को पंजीकृत करने के लिए, "Click Here For New Registration" पर क्लिक करें" और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल–आईडी दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उत्पन्न किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को नोट करें। ईमेल और एसएमएस द्वारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा जाएगा।
  3. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन फॉर्म को पूरा करने में असमर्थ है, तो वह "SAVE AND NEXT" टैब चुनकर पहले से दर्ज डेटा को सेव कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरणों को सत्यापित करने के लिए "SAVE AND NEXT" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसी को संशोधित करें।

4. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि "FINAL SUBMIT" बटन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा।

5. ऑनलाईन आवेदन में उम्मीदवार का या उसके पिता/पति का नाम आदि को सही ढंग से लिखा जाना चाहिए तथा यह प्रमाण पत्र/मार्क शीट/पहचान प्रमाण पत्र के अनुरूप होना चाहिये। कोई भी भिन्नता उम्मीदवार को अयोग्य बना सकती है।

6. विवरणों को सत्यापित करें और "Validate your details" और "SAVE AND NEXT" बटन पर क्लिक करके आवेदन को सेव करें।

7. उम्मीदवार यहाँ दिए गये विस्तृत विवरण "Scanning and Uploading of Photograph and Signature" के दिशा निर्देशों में दिए गए विवरण के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

8. उम्मीदवार आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

9. "Preview Tab" से पहले पूरे आवेदन फॉर्म का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के पश्चात "FINAL SUBMIT" पर क्लिक करें।

10. यदि आवश्यक हो, तो विवरणों को संशोधित करें और सत्यापित करें। यह सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं और सभी अन्य विवरण सही होने पर ही "FINAL SUBMIT" बटन पर क्लिक करें।

11. "Payment" टैब पर क्लिक करें और फीस के भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

12. "SUBMIT" बटन पर क्लिक करें।

<u>फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश</u> :–

1. **<u>फोटोग्राफ</u> :–**

- ➢ आवेदक को नवीनतम रंगीन (अधिकतम 6 माह पुराना) फोटो अपलोड़ करना है। सेल्फी फोटोग्राफ का उपयोग ना करें।
- ➢ फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिये।
- ➢ यदि फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि 'रेड आई' न हो।
- ➢ यदि चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं है और आँखें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।
- ➢ कैप, टोपी और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक हेडवियर की अनुमति है, लेकिन यह आवेदक के चेहरे को कवर नहीं करना चाहिए।
- ➢ फोटो का माप 200 X 230 पिक्सेल (प्रीफरेवल)
- ➢ फाइल का साइज 20 kb - 50 kb के बीच होना चाहिए।
- ➢ सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50 केबी से अधिक नहीं है। यदि फाइल का आकार 50 केबी से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स को समायोजित करें जैसे कि डीपीआई रिजॉल्यूशन, रंग आदि।
- ➢ केवल फोटो में JPEG प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।

2. **<u>हस्ताक्षर</u> :–**

- ➢ आवेदक को ब्लैक इंक पेन के साथ श्वेत पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
- ➢ हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- ➢ हस्ताक्षर का उपयोग अटेंडेंस शीट पर और जहाँ भी आवश्यक हो से मिलान करने के लिए किया जाएगा।
- ➢ परीक्षा के समय कॉल लेटर और उपस्थिति पत्रक पर प्राप्त आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए। बेमेल के मामले में, आवेदक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- ➢ Dimension 140 x 60 पिक्सेल (Preferable)
- ➢ फाइल का साइज 10 केबी – 20 केबी के बीच होना चाहिए
- ➢ सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20 केबी से अधिक नहीं है
- ➢ कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ➢ केवल JPEG प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।

3. **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया :–**

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान उम्मीदवार को उसकी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा
- फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दो अलग–अलग लिंक होंगे
- सम्बन्धित लिंक पर क्लिक करें फोटोग्राफ/हस्ताक्षर अपलोड करें
- उस स्थान को ब्राउज करें और उस स्थान का चयन करें जहाँ स्कैन की गई फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर फाइल को रखा गया है।
- उस पर क्लिक करके फाइल को चुनें।
- यदि फाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- ओपन/अपलोड 'बटन पर क्लिक करें।

4. ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर निर्दिष्ट के अनुसार अपलोड नहीं किए जाते।

5. यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर में चेहरा स्पष्ट नहीं है तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ/हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को यह जाँचना चाहिए कि चित्र स्पष्ट है और सही तरीके से अपलोड किए गए हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर प्रमुख रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उम्मीदवार अपना आवेदन संशोधित कर सकता है और फॉर्म जमा करने से पहले अपनी फोटोग्राफ या हस्ताक्षर को फिर से अपलोड कर सकता है।

6. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें।

7. उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किया गया है। यदि हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर और फोटो के स्थान पर फोटो ठीक से अपलोड नहीं किया गया है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

कॉल लेटर डाउनलोड करना :–

1. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए https://rajexcise.gov.in/RSGSMWEB/Website/Default.aspx पर जाना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस के जरिये भेजी जाऐंगी। एक बार उम्मीदवार सम्बन्धित लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वह कॉल लेटर डाउनलोड के लिए विंडो तक पहुँच सकता है। उम्मीदवार को कॉल लेटर में रजिस्ट्रेशन के दौरान उपयोग में ली गई फोटोग्राफ को पेस्ट करना। परीक्षा केन्द्र में कॉल लेटर, फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी एवं वही फोटो पहचान प्रमाण की मूल लानी है।

2. कॉल लेटर में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद यानी देर से रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि संस्थान द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं।

नोट :– ऑनलाईन आवेदन की उक्त प्रक्रिया सलाह के रूप में है। असफल ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।

बायोमेट्रिक सत्यापन :–

1. परीक्षा के दिन बायोमेट्रिक डेटा (अंगूठे का निशान) और उम्मीदवारों की फोटो कैप्चर का निर्णय लिया गया है।

2. बायोमेट्रिक डेटा और फोटोग्राफ को बाद में सत्यापित किया जाएगा। बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन संस्था का निर्णय मिलान या बेमेल के सम्बन्ध में अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि बायोमैट्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :–

- अगर अंगुलियों को मुद्रांकित स्याही/मेहन्दी आदि से कोट किया जाता है तो उन्हें अच्छी तरह से धोना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा/शामिल होने के दिन से पहले पूरी तरह से कोटिंग हट जाए।
- यदि उंगलियाँ गन्दी या धूल भरी हैं, तो उन्हें धोना सुनिश्चित करें और फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) कैप्चर करने से पहले उन्हें सूखा लें।
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हैं।
- यदि कैप्चर की जाने वाली प्राथमिक अंगुली (अंगूठा) घायल/क्षतिग्रस्त है, तो तुरन्त परीक्षा केन्द्र में सम्बन्धित संस्था को सूचित करें।

लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केन्द्र :–

1. परीक्षा केन्द्र जयपुर (राजस्थान) में होगा। RSGSML को किसी भी परीक्षा केन्द्र को रद्द करने या अन्य केन्द्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है।

2. RSGSML, उम्मीदवार को किसी भी केन्द्र को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा के लिए केन्द्र/तिथि/सत्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. उम्मीदवार अपने खर्चे पर परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के लिए उपस्थित होगा। RSGSML किसी भी हानि/नुकसान/दुर्घटना आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया और मेरिट : ऑनलाइन परीक्षा दो भागों में होगी :–

अंग्रेजी और हिंदी भाषा के परीक्षा को छोड़कर सभी परीक्षा पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनो भाषाओं में प्रदान किए जाएंगे। सभी प्रश्नों के 5 विकल्प होंगे। एक प्रश्न के पांच उत्तरों में से केवल एक ही सही उत्तर होगा। आपको सबसे उपयुक्त उत्तर पर माउस के माध्यम से क्लिक कर चयन करना होगा। आपके द्वारा क्लिक किए गए विकल्प को उस प्रश्न के उत्तर के रूप में माना जाएगा। आपके द्वारा चिह्नित गलत उत्तरों के लिए उस प्रश्न को दिए गए अंकों में से 1/4 अंक की कटौती की जाएगी।

पार्ट–ए :– Part-A relating to general issues and is **only for qualifying** to become eligible for consideration. RSGSML shall not recommend any candidate who has failed to obtain **40 % marks in this stage**. However relaxation in minimum marks upto 5% shall be applicable to SC/ST category candidates & Ex-serviceman.

(पार्ट–ए सामान्य मुद्दों से संबंधित है और **केवल अर्हता (Qualifying) हेतु** है। **पार्ट–ए के अंकों को मैरिट में शामिल नहीं किया जावेंगा।** इस चरण में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 प्रतिशत तक न्यूनतम अंकों में छूट लागू होगी।)

(Objective Type)

Sl. No.	Name of the Tests (Not in sequence)	No. of questions	Maximum Marks	Duration
1.	Hindi	50	50	30 minutes
2.	English Language	50	50	30 minutes
3.	General Awareness	50	50	20 minutes
4.	Quantitative Aptitude	50	50	35 minutes
5.	Basic knowledge of computer	50	50	20 minutes
Question papers of Part -A will be of Secondary Level.				

पाठ्यक्रम (पार्ट–ए)

1. **हिन्दी (Hindi)** :–
   - संधि और संधि विच्छेद ।
   - सामासिक पदों की रचना और समास–विग्रह ।
   - उपसर्ग ।
   - प्रत्यय ।
   - पर्यायवाची शब्द ।
   - विपरीतार्थक (विलोम) शब्द ।
   - अनेकार्थक शब्द ।
   - शब्द – युग्म ।
   - संज्ञा शब्दो से विशेषण बनाना ।
   - शब्द – शुद्धि : अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण ।
   - वाक्य – शुद्धि : अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण।
   - वाच्य : कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग ।
   - क्रिया : सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएँ ।
   - वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ।
   - मुहावरे और लोकोक्तियाँ ।
   - अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द ।
   - सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिन्दी में रूपान्तरण और हिन्दी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपान्तरण
   - कार्यालयी पत्रों से सम्बन्धित ज्ञान।

2. **अंग्रेजी (English)** :–
   - Tenses/Sequence of Tenses.
   - Voice : Active and Passive.
   - Narration : Direct and Indirect.
   - Transformation of Sentences : Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and vice-versa.
   - Use of Articles and Determiners.
   - Use of Prepositions.
   - Correction of sentences including subject, Verb, Agreement, Degrees of Adjectives, Connectives and words wrongly used.
   - Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).
   - Synonyms.
   - Antonyms.
   - One word substitution.
   - Forming new words by using prefixes and suffixes.
   - Confusable words.
   - Comprehension of a given passage.

3. **सामान्य जागरूकता (General Awareness)** :–

   Questions in this component will be aimed at testing the candidates general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring countries especially pertaining to sports, History, Culture, Geography, Economic Scene, General Polity, Indian Constitution, scientific Research etc. These Questions will be such that they do not require a special study of any discipline.

4. **मात्रात्मक अभियोग्यता (Quantitative Aptitude)** :-
   - Natural numbers, rational and irrational numbers and their decimal expansions, operations on real numbers, laws of exponents for real numbers, rational numbers and their decimal expansions.
   - Ratio and proportion, percentage, Profit and loss, simple and compound interest, time and distance, time and speed, work and time.
   - Collection of data, presentation of data, graphical representation of data, measure of central tendency, mean, mode, median of ungrouped & grouped data.

5. कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त (Basics of Computer) :-

- Introduction to Computer & Windows: Input/output Devices, Memory, PORTs, Windows Explorer
- Menu, Managing Files & Folders, Setup & Accessories, Formatting, Creating CD/DVD.
- Word Processing & Presentations: Menu Bars, Managing Documents & Presentations, Text Formatting,
- Table Manipulations, Slide Designs, Animations, Page Layout, Printing.
- Spread Sheets: Excel Menu Bar, Entering Data, Basic Formulae & Inbuilt Functions, Cell & Text
- Formatting, Navigating, Charts, Page Setup, Printing, Spread Sheets for Accounting.
- Working with Internet and e-mails: Web Browsing & Searching, Downloading & Uploading, Managing an E-mail Account, e-Banking.

पार्ट–बी :– Part B will be specified for knowledge of the subject/qualification related to the post & is **for preparation of merit**. RSGSML shall not recommend any candidate who has failed to obtain **40 % marks in Part-B.** However relaxation in minimum marks upto 5% shall be applicable to SC/ST category candidates & Ex-serviceman.

(**पार्ट–बी द्वारा मैरिट का निर्धारण किया जावेंगा।** इस चरण में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 प्रतिशत तक न्यूनतम अंकों में छूट लागू होगी)

S.No.	Name of the Test	No. of Questions	Maximum Marks	Duration
1.	**Subject Knowledge Part- 1**	50	100	25 Minutes
2.	**Subject Knowledge Part- 2**	50	100	25 Minutes
Question paper of Part -B will be of Graduation Level.				

पाठ्यक्रम (पार्ट– बी)
Subject Knowledge (Part- 1)

BIOLOGICAL SCIENCE -I

1. Genetics : Mendel's law, General Terminology, Molecular basic of Heredity, Chromosomalmutations, Linkage and crossing over, Structure of chromosome, sex determination and genetic disorders in human.
2. Structure of DNA and RNA, DNA replication, transcription and translation : Genetic Code.
3. General principles of taxonomy; concepts of the five kingdom scheme. Classification of Animal Kingdom: Up to Phyla in Non chordates and up to class in chordates.
4. Integumentary system, Digestion, Respiration and Excretion in human, Protein, Carbohydrate, Fat, Vitamin and digestive enzyme, Exchange of gases, Aerobic and anaerobic respiration, Kreb Cycle, Glycolysis, Excretory Substance. Structure and Physiology of Kidney.
5. Circulatory and Endocrine System of Human : Structure of Heart, Composition of Blood, Blood groups, Blood clotting, Lymph glands, .Antigen and Antibodies, Endocrine glands and their hormones.
6. Nervous System of Human: Structure of Brain, Eye and Ear, Structure of Neuron, Nerve impulse.
7. Muscular System: Type of Muscles and Muscle contraction.
8. Reproductory System in Human and Human Diseases: Structure and Reproductive health Disease in man caused by Bacteria, Virus, Protozoa, Fungi and Helminths.
9. Biological Evolution, History of evolutionary thoughts (Lamarckism and Darwinism), Study of Fossils: Dinosaures, Archeopteryx.
10. Developmental Biology: Gametogenesis, Fertilization, Cleavage, Extra-embryonic membranes in chick and Placentation in Mammals.
11. Economic Importance of Animals.

BIOLOGICAL SCIENCE -II

1. General Characters of : Algae, Fungi, Lichens, Bryophyta, Pterido-phyta, Gymnosperms and Angiosperms.
2. Morphology of Angiosperms : Structure and Modification of Root, Stem and Leaf, Structure of flower and seed.
3. Plant Anatomy : Tissue and Tissue System, Secondary growth.
4. Plant Physiology : Osmosis, water Absorption Ascent of sap, transpiration, Photosynthesis, Respiration, Plant growth and movement
5. Environmental Studies : Structure and type of Ecosystem, Energy flow, Biogeo- Chemical Cycle, Ecological Adaptations, Environmental Pollution, Population Ecology, Biodiversity.
6. Biotechnology : General Account, Recombinant DNA technology, Transgenic Plants and Animal, Ethical issues, Application of biotechnology in Agriculture and Medical field.
7. Economic importance of Plants.
8. Cell : Structure (Prokaryotic and Eukaryotic) Cell theory and cell Division.
9. General study of Bacteria and Virus.

Subject Knowledge (Part- 2)
CHEMISTRY

1. Periodic Table & Atomic Properties: Fundamental particles of an atom (electron, proton, neutron),Rutherford's nuclear model, Quantum :cos., Pauli's exclusion principle, Afbau principle, Types of orbital (s,p,d,f), shape of orbital, Hund's rule, Modem periodic table, Variation in atomic properties(Size, ionisation potential, Electron affinity, Electronegativity),
2. s-Block& p-Block Elements: General introduction, Electronic configuration, Occurrence, Oxidationstates, Trends in Physical & Chemical properties, Inert pair effect.
3. Chemical Equilibrium: Factors affecting Equilibrium, Reversible and Irreversible reactions, Laws of chemical Equilibrium, Le Chatelier's Principle.
4. Ionic Equilibrium, acid based Equilibrium, pH value, common ion effect, buffer Solutions, Acid basetitration.
5. Gaseous State: Properties, Boyles's Law, Charle's Law, Avogadro's Law, Dalton's Law, Ideal gasequation, Graham's Law of diffusion, Kinetic theory of gases
6. Liquid State: Properties of Liquids, Vapour pressure, Surface tension, Viscosity
7. Solid State: Properties of Solids, Classification of solids, Unit cells & their types, Packing of crystals,Structure of simple ionic compound, Defects in crystals (Frenkel, Schottky),
8. Solutions: Solute, Solvent, Solution, Concentration of solutions (Molarity, Normality, Formality,Molality, Mole fraction, Weigh percent), Types of solutions (Gas solutions, Liquid solutions, SolidSolutions), Raoult's Law, Ideal & Non-Ideal solutions, Colligative properties of solutions,
9. Nomenclature& General Properties of Organic Compounds: Rules of IUPAC nomenclature, Types ofreactions (Substitution, Addition, Elimination), Electrophiles, Nucleophiles, Inductive effect, Electrometric effect, Resonance, Hyperconjugation, Steric effect, isomerism (structural & Stereo).
10. Hydrocarbons and their Derivatives (Preparation, Physical Properties & Chemical Properties).- Alcohols,phenols, Ethers & Epoxides, Aldehydes & Ketones, Carboxylic acids, and Organic Compounds ofNitrogen.
11. Role of analytical chemistry, classification of analytical methods - classical and instrumental, Types of instrumental analysis, selecting an analytical method, Good Laboratory practices. Analytical balance. Techniques of weighing, errors. Volumetric glassware, Sample preparation : dissolution and decompositions. Gravimetric techniques. Selecting and handling of reagents. Safety in the analytical laboratory.

12. Chromatography - Techniques: General Principles of paper, column, TLC, Adsorption, partition, Gas, Gas-liquid, Ion exchange, Exclusion (permeation), affinity, HPLC, HPTLC, Capillary etc.
13. Principles, Technique, Instrumentation and Applications—Mass Spectrometry, GC-MS-HS, Raman Spectroscopy. N.M.R., UV-Visible, IR Spectroscopy, Fluorescence, X-ray fluorescence spectrometry (XRF),
14. Electrophoresis : Theory and principles.

ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया में प्रक्रियागत समस्या उत्पन्न होने की संभावना को पूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः ऑनलाईन परीक्षा में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो पुनः परीक्षा का अधिकार पूर्णतः RSGSML के पास सुरक्षित होगा। पुनः परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के पास कोई दावा नहीं होगा।

सफल उम्मीदवारों को अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए, समिति के समक्ष इस उद्देश्य के लिए सूचित तिथि के साथ स्व–सत्यापित फोटोस्टेट प्रति के एक सेट के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा :–

- उम्मीदवार की स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर के साथ आवेदन का प्रिंटआउट।
- जमा की गई ई–रसीद का प्रिंटआउट।
- शैक्षणिक योग्यता हेतु जारी डिग्री/अंतिम डिग्री।
- विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए सभी वर्षों/सेमेस्टर की मार्क–शीट।
- माध्यमिक स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र /मार्क–शीट जिसमें उम्मीदवार की जन्म तिथि अंकित हो।
- शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार (विकलांगता वाले व्यक्ति) के मामले में। सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मेडिकल प्रमाणपत्र (विकलांगता के प्रकार और विकलांगता का प्रतिशत)।
- सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीकरण (यदि विवाहित है)।
- विधवा के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- तलाक के मामले में, अदालत द्वारा तलाक देने का प्रमाण पत्र।
- विवाहित उम्मीदवारों के मामले में, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा जो स्पष्ट रूप से सभी बच्चों के नाम और जन्म तिथि का संकेत देता हो।
- विश्वविद्यालय या संस्थान जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, के सक्षम प्राधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो जिम्मेदार व्यक्ति जो स्कूल या संस्थान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं है से चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदन भरने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से छह महीने से अधिक पुराना नहीं हैं।
- विधिवत रूप से स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला किसी भी अदालत में लंबित नहीं है/उसे दोषी ठहराया नहीं गया है।
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- पुलिस वेरिफिकेशन।
- पहले से ही सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के साथ कार्यरत उम्मीदवारों को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा (एनओसी)।
- नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित स्टाम्प पेपर परएक शपथ पत्र कि उसने कोई दहेज नहीं दिया/लिया है।
- उम्मीदवार, जो किसी भी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें चयनित/नियुक्त होने से पहले, उनके आरक्षण के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
- वे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रू से कम है और वे इस आधार पर आवेदन शुल्क के रूप में 250/– जमा कर रहे हैं, को अपनी वार्षिक पारिवारिक आय के समर्थन में दस्तावेज तैयार करने होंगे।
- कोई अन्य दस्तावेज, जैसा कि सूचित किया जा सकता है।

- यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय और तारीख पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो पुनः सत्यापन हेतु उम्मीदवार को बुलाने अथवा नहीं बुलाने का अधिकार RSGSML के पास सुरक्षित होगा। इस सम्बन्ध में RSGSML का निर्णय मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

नियुक्ति की अयोग्यताऐं :–

- किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया/लिया है।
- ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकारपैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

  परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

  परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नही है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व राजस्थान विभिन्न सेवा नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरहित नही है तो उसे निरर्हित नही किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड/संस्थान/अन्य सरकारी संस्था ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने या कांट–छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने पर वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं सें बैठने के लिए, स्थाई रूप से या निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा। यदि किसी आवेदक को आगामी परीक्षा में बैठने से पूर्व में हीं बहिष्कृत (Debarred) किया गया है और बहिष्कार की अवधि पूरी नहीं हुई है, ऐसे आवेदक नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।

कैनवसिंग :– उम्मीदवार की ओर से किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन को सूचीबद्ध करने का प्रयास उसे भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

अन्य निर्देश :–

1. आवेदन करने से पहले, प्रत्येक उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह विज्ञापन में वर्णित पात्रता मानदंड और अन्य शर्तो को पूरा करता है।
2. उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सभी मामलों में सही हैं।
3. मूल दस्तावेजों के साथ–साथ अन्य नियमों और शर्तो के संदर्भ में दस्तावेजों के सत्यापन/पात्रता मानदंड की जांच दस्तावेजों के सत्यापन के समय ही की जाएगी।
4. एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर दिये जाने योग्य है, यदि उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी अधूरी/गलत है या उसने किसी सूचना/सामग्री तथ्य को दबा दिया है या उसके अनुरूप नहीं पाया गया है। अगर, किसी भी समय भर्ती के दौरान या किसी उम्मीदवार द्वारा सेवा में शामिल होने के बाद भी, ऐसी किसी कमी ध्यान मे आती है, तो उसकी सेवाओं को बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है।

5. ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा और/या दस्तावेजों के सत्यापन के लिए किसी भी उम्मीदवार को कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे RSGSML की वेबसाइटों के साथ निरंतर संपर्क में रहें और नियमित रूप से इस भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी के लिए अपने ईमेल की जाँच करें। पोस्ट या किसी अन्य मोड से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी।

7. RSGSML को बिना किसी नोटिस जारी किए, जरूरत पड़ने पर भर्ती प्रक्रिया के बाद रद्द/प्रतिबंधित/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. भर्ती से सम्बन्धित सभी मामलों में RSGSML का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में RSGSML द्वारा कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ/जानकारी नहीं की/दी जाऐंगी।

9. किसी भी विवाद के मामले में कानूनी क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

10. उम्मीदवारों के संशय/सवालों का प्रतिउत्तर/टिप्पणी http://cgrs.ibps.in के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करायी जावेगी।

विशेष नोट :– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि RSGSML द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई–मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन–पत्र RSGSML द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता हैं, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

ऑनलाईन आवेदन अवधि :–

दिनांक 08.01.2021 प्रातः 08.00 बजे से दिनांक 07.02.2021 तक रात्रि 12.00 बजे तक।

महाप्रबन्धक
राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0,
मुख्यालय जयपुर